खंड: 6, अंक: 09 सितंबर 2023 DELHIN/2021/84711

# संश्लेषण

*सी जी एस मासिक पत्रिका*

## नारी शक्ति वंदन अधिनियम: राजनीतिक सशक्तिकरण

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस
वैश्विक अध्ययन केंद्र
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)
दिल्ली विश्वविद्यालय

## संपादक

**प्रोफेसर सुनील कुमार**

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** director@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

## संपादक मंडल

**डॉ रमेश कुमार भारद्वाज**

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://www.mphighereducation.nic.in

**डॉ महेश कौशिक**

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** mkaushik@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://www.aurobindo.du.ac.in

**डॉ संध्या वर्मा**

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** sverma@shyamlale.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

**डॉ अभिषेक नाथ**

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

**ई-मेल आई डी:** tuesdaytrack@gmail.com

**प्रोफाइल लिंक:** https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

**© सीजीएस2023**

संश्लेषण

# नारी शक्ति वंदन अधिनियमः राजनीतिक सशक्तिकरण

अनुक्रमिका

संपादकीय


1. नारी शक्ति वंदन अधिनियमः नई सहभागिता का नया युग
   – माधुरी 1–4
2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम व नारी सशक्तिकरण
   – चंद्रिका आर्य 5–8
3. महिला आरक्षण से राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयासः शक्ति वन्दन अधिनियम' के संदर्भ में
   – राखी 9–14
4. नारी शक्ति वंदन अधिनियमः महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम
   – ज्योति 15–18
5. नारी शक्ति वंदन अधिनियमः राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में
   – प्राची 19–22

## सम्पादकीय

वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविधालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण क 62वें अंक को प्रकाशित करते हुए हमने अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। समस्त शोधार्थीयों, शिक्षार्थीयों एवं विधार्थीयों द्वारा समसामयिक विषय पर सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण के माध्यम से हिंदी भाषा को प्रचारित, प्रसारित एवं प्रमाणित करने की हमारो यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत हो रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं के प्रतिउत्तर में अधिनियमित, यह कानून स्थानीय व राज्य–स्तरीय सरकारों में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को अनिवार्य करता है।

भारत में महिलाओं को अर्द्ध जनसंख्या होने के उपरांत भी राजनीति में प्रवेश करने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह अधिनियम नगर परिषदों, पंचायतों व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करके इसका समाधान करता ह। इस कदम का उद्देश्य न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना है, अपितु समुदायों व नीतियों को आकार देने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके स्वर को बढ़ाना भी है।

यह अधिनियम राजनीतिक नेतृत्व में विविधता लाकर, अधिनियम अधिक सूक्ष्म नीतिगत दृष्टिकोण लाने और महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच जैसे विषयों को प्राथमिकता देने का सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही, यह अधिनियम पितृसत्तात्मक संरचनाओं को समाप्त करने व वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक सुधारात्मक उपाय है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाकर, अधिनियम न केवल समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखता है, अपितु विविध दृष्टिकोणो के साथ लोकतांत्रिक शासन को भी समृद्ध करता है। भारत समावेशी विकास की दिशा में अपने पथ पर अग्रसर हो रहा है, यह अधिनियम राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में नारी शक्ति–महिलाओं की शक्ति–की पूर्ण क्षमता को साकार करने में प्रगति की एक किरण के रूप में है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने "नारी शक्ति वंदन अधिनियमः राजनीतिक सशक्तिकरण" विषय पर आलेख आमंत्रित किए। उत्कृष्ट लेखों को संपादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे है। ये समस्त लेख न केवल महिलाओं के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे है अपितु 21 वीं शताब्दी के समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार संबंधी नए विकल्पों को खोजने का भी प्रयास कर रहे है।

संश्लेषण पत्रिका में आप सभी लेखकों व पाठकों द्वारा किए जाने वाले गहन लेखन एवं आपसे प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम संश्लेषण को और अधिक गुणात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके निरंतर सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।

संपादक मंडल शनिवार, 14 अक्टूबर 2023

1

# नारी शक्ति वंदन अधिनियमः नई सहभागिता का नया युग

माधुरी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

प्रस्तुत आलेख में नई सहभागिता के नए युग का वर्णन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में किया गया है। हाल ही में पारित इस अधिनियम ने भारत में नई सहभागिता के एक नए आयाम को पूर्ण किया है जिसका वर्णन अग्रलिखित है। आलेख को तीन भागों में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भारतीय संदर्भ में नारी और नई समानता और सहभागिता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ यह प्रयास सतत विकास की अवधारणा को भी समाहित करता है और इस प्रकार यह जेंडर मैं स्ट्रीमिंग का मुख्य घटक भी बन जाता है। इस प्रकार से भारतीय महिला सहभागिता को वैश्विक एजेंडा से जोड़कर लाना भारत की सतत विकास लक्ष्य की तरफ एक प्रतिबद्धता को भी दिखता है।

प्रथम चरण, 19वीं सदी में पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है जिसमें कई सुधारको ने नई सुधारक कानून का समर्थन किया जिसमें कई क्षेत्र सम्मिलित थे। जैसे सामाजिक स्तर पर शिक्षा को लाना, सामाजिक बुराई को हटाना इत्यादि।

साथ ही, सामाजिक बुराई को जड़ से हटाने के क्रम में कई सुधारकों ने नारी संबंधित बुराई को हटाने का प्रयास किया। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह की समाप्ति जैसे विषयों की समर्थन किया। इसमें प्रमुख ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राममोहन राय, ज्योतिबा फुले इत्यादि रहे। कन्या भ्रूण हत्या जैसे कानून इस दशक में ही ले गए।

दूसरा चरण, 1915 से 1947, भारतीय राजनीति में महिला सहभागिता के लिए एक नए आयाम को लेकर आया जिसमें ब्रिटिश राज्य के साथ मिलकर अवरोध और नारी को लोक–क्षेत्र में स्थान देकर उसकी सहभागिता का प्रथम प्रतिबिंब को दिखाया गया, जो कि एक नए भारत का स्वप्न भी था। इस दिशा में सर्वप्रथम पहल महत्वपूर्ण आंदोलन के द्वारा की गई। जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी सम्मिलित था।

सामाजिक रूप से विभिन्न महिलाएं सक्रिय रही परंतु उस समय राजनीतिक सहभागिता का राजनीतिक संगठन ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन रहा। यह संस्थाएं नारी और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जुट गई ।

विभिन्न घटनाएं राजनीतिक स्तर पर सामने आई, जिसमें 1917 में नारी के राजनीतिक अधिकारों की भी बात कही गई। प्रथम वूमेन डेलिगेशन ने स्टेट सेक्रेटरी के साथ मुलाकात कर पहली बार नारी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की, वहीं 1925 में सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी जो भारत भारतीय मूल और भारत में जन्मी थी वहीं दूसरी ओर इसके अगले श्रेणी में 1927 में ऑल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस की स्थापना की गई।

1947 में स्वतंत्रता के साथ ही नारी शक्ति व सहभागिता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अमृत कौर प्रथम फीमेल कैबिनेट मंत्री के रूप में आसीन हुई। स्वतंत्रत भारत के प्रथम कैबिनेट में वह मंत्री पद पर आसीन हुई।

यद्यपि सहभागिता के कई क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है परंतु आलेख का केंद्र राजनीतिक सहभागिता है जिसमें न्यायालय के द्वारा भी विभिन्न हस्तक्षेप किए गए जिसमें नारी के स्थानीय सीटों में आरक्षण की भी बात कही गई। इसी क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक प्रमुख यंत्र क रूप में सामने आया जो न मात्र यथा स्थिति को सुदृढ़ और उत्तम बनाने में सहायक होगा तथापि यह सहभागिता के एक नई चरम को पाने का भी प्रयास करेगा। यह एक नया कदम जेंडर मेंस्ट्रीमिंग की दिशा में सहायक रूप में भी देखा जा सकता है।

यह बिल 128 संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लाया गया, यद्यपि अत्यधिक प्रयास महिला राजनीतिक सहभागिता के लिए किए गए हैं परंतु सारे ही असफल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण का प्रावधान है परंतु यही राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर नहीं है।

19 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को लाया गया जिसमें एक तिहाई महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ और यह बिल सफल भी रहा जो कि पिछले 27 बार असफल रहा था लोकसभा के प्रेजेंट सदस्य को देखते हुए इस बिल को लाने के बाद महिला सदस्य संख्या 181 हो जाएगी।

एससी एसटी महिलाओं के लिए सब कोट का भी इस बिल में प्रावधान रखा गया है यह बिल अगले डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद औपचारिक होगा और तथापि अगले 15 वर्षों के लिए रहेगा इसके पश्चात महिला सीट आरक्षण इसके साथ ही इसकी विशेषता इस बातों में भी है कि यह नए संसद में पारित किया गया जो की 29 सितंबर को कानून बना ।

नई संसद में नई सहभागिता और विशेष बिल पास करना एक नए युग की ओर संकेत करता है, जो इस बिल में आलोकित है इस बिल का वर्णन निम्न शब्दों में किया जा सकता है।

"नए संसद में एक नई सहभागिता को निश्चित करते हुए नए युग का निर्माण करने के क्रम में एक नए भारत का प्रारूप सुनिश्चित किया गया"।

इस प्रकार बिल के बहुमुखी आयामों पर प्रकाश डाला जा सकता है।

पहले भारत विकास संतुलित विकास और नई सहभागिता विकासय

वैश्विक स्तर पर औसतन लेजिसलेटिव बॉडी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 24% है इस कानून के बाद भारत वैश्विक स्तर से ऊपर आ जाएगा ।

दूसरा विश्व पटल पर सतत विकास लक्ष्य कोकंप्लीमेंट करना नारी सशक्तिकरण और समान विकास सामान्य सतत विकास लक्ष्य 2015 की 17 लक्ष्य में से एक है इस प्रकार यह पारित कानून इस बात पर भी जोर डालता है कि भारत वैश्विक कानून और पॉलिसीज का सम्मान करता है।

तीसरा जेंडर मैंस्ट्रीमिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इस विश्व की जरूरत है और इस प्रकार प्राचीन काल से अपने धरोहर को आगे बढ़ते हुए जो की नारी शक्ति में निहित है और राजनीतिक स्तर पर उसे एक मूर्त रूप देने से भारत विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है।

निष्कर्ष

सहभागिता की दिशा में यह कम विकसित भारत के लक्ष्य को पानी में सहायकहोगा और अंतरराष्ट्रीय सतत लक्ष्य के अंतरराष्ट्रीय प्रयास में भारत एक अग्रणी देश के रूप में नया विश्व गुरु की परिकल्पना को मूर्त रूप देगा।

संदर्भ सूचीः


- सेन करिश्मा, 2021, हिस्ट्री ऑफ वीमेनश्एस राइट्स इन इंडियाः इवोल्यूशन ऑफ वीमेन एस राइट्स इन इंडिया।
- देवी अन्नपूर्णा, 2023, ऐतिहासिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रभात खबर।
- जय शामिन, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियमः टेक अवेज फ्रॉम थे वूमेनएस रिजर्वेशन बिल डेक्कन हेराल्ड।
- लोक सभा उननीमयसली पैसेज हिस्टोरिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बिजनेस स्टैंडर्ड
- अग्निहोत्री इंदु, 2023, बिटवीन हिस्ट्री एंड हिस्ट्रीयूनिक्सः नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वायर।
- फुकान,संदीप चक्रवर्ती, श्रीपर्ना 2023, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वूमेनश्एस रिजर्वेशन बिल पीएम मोदी कॉल्स पर कंसेंसस वोट, द हिंदू।
- गुप्ता ,अनुराग, 2023, वूमेन रिजर्वेशन बिलः ऐतिहासिक फैसला लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन बिल विरोध में महेश दो मत, जागरण जोश।
- मेघवाल अर्जुन राम, 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विल सेट द टोन फॉर वूमेन लीड डेवलपमेंट, इंडियन एक्सप्रेस।
- आवरण कथा, 2023, महिला आरक्षण बना संकल्प से सिद्धि का एक और उदाहरण, न्यू इंडिया समाचार 2023


♦♦♦♦♦

2

# नारी शक्ति वंदन अधिनियम व नारी सशक्तिकरण

चंद्रिका आर्य

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नारी सशक्तिकरण के लिए यूं तो पहले भी अनेको प्रयास भारतीय सरकारों द्वारा किए गए हैं परंतु ऐतिहासिक नारी वंदन अधिनियम को पारित कर वर्तमान सरकार ने आने वाली पीढ़ियां एवं महिलाओं के लिए एक विशिष्ट मार्ग का उद्घाटन कर दिया है। जिससे भारतीय नारी अब अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमताओं का प्रयोग स्वयं और राष्ट्र के निर्माण में कर सकेंगी। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाज वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की राह पर चलते हुए नवीन भारत की नवीन संसद में 2021 सितंबर को अधिनियम लाया गया और 29 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् यह कानून में परिवर्तित हो गया। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लोकसभा, विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। एससी–एसटी के लिए सीटो में आरक्षण पहले से ही है, उसमें ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित होगा। इसकी अवधि 15 साल होगी और बाद में संसद जरूरत समझे तो इसे बढ़ा सकती है। लोकसभा की 543 सीटो में से महिला सांसदो की संख्या वर्तमान में 82 है, वह बढ़कर 181 हो जायेगी।

सफल प्रयासः

लगभग 3 दशकों से इस विशेष विधेयक को पारित करने के लिए प्रयास किया जा रहा था जो कि अब जाकर सफल हुआ है। यह बिल सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोड़ा के कार्यकाल में 11वीं लोकसभा में 1996 में आया था तत्पश्चात 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार इस बिल को लेकर आई फिर 2008 में राज्यसभा में मनमोहन सिंह सरकार इस बिल के साथ पेश हुई लेकिन दुर्भाग्यवश यह बिल 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो

गया। अब 2023 में 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने नूतन स्वरूप में इस नारी वंदन अधिनियम विधेयक को पेश किया जिसे सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित किया गया।

नारी शक्ति के सम्मान के रूप में

समग्र विश्व को प्रेरित करने वाला यह कानून नारी शक्ति को स्वीकार कर उसके सामर्थ्य का सम्मान करता है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक नारी ने अपने सामर्थ्य और क्षमताओं का अनूठा प्रमाण दिया है। नारियों के इन्हीं नैसर्गिक शक्तियों का उपयोग अब देश को स्वर्ण दौर में पहुंचने के लिए महिला वंदन अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। देश की आधी आबादी जो महिला शक्ति है वह देश की ताकत बन रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यह कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। इस कानून के साकार होने से देश के लिए काम करने का जज्बा और भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी।

महिलाओं को सशक्त कर लिए बनाने का सबसे प्रभावित तरीका महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण है भारत ने इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है।विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर अपने हाथ में लिए और दुनिया के दूसरे बड़े रक्षाबंधन की कमांडर इन के भारतीय राष्टपति द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है जो भारत के अन्य महिलाओं में एक विश्वास और सशक्त होने का भाव पैदा करती हैं इसी विश्वास और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने का कार्य यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम करेगा।

अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह

इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि यह कानून महिला सशक्तिकरण की ओर एक ऐतिहासिक एवं मजबूत कदम है। लेकिन मातृशक्ति के माथे पर शिकन इस बात से चिंतित होकर देखी जा रही है कि इस अधिकार को मिलने में इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह विलंब बहुत से किंतु–परंतु को अपने में समाहित किए हुए हैं।

क्या वास्तविकता में जनगणना और परिसीमन की लंबी प्रक्रिया का हवाला देकर सरकार ने गत चुनावी गणित को साधने की कोशिश की है। महिलाओं द्वारा इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा गया क्योंकि इस बिल से न केवल 2024 अपितु 2029 में भी महिलाओं के दलों से जुड़े रहने की

संभावनाएं बढ़ गई है। अभी इसमें 33 प्रतिशत आरक्षण के लागू होने का कोई वर्ष कोई दिनांक महिलाओं को नहीं मिली है। महिलाओं को लग रहा है कि इस बार कसौटी पर अर्द्ध जंसख्यान की भावनाएं जुड़ी है और वह भी कहीं रानीतिक कार्यक्रमों की राजनीति में प्रयोग ना हो जाए।

देश में सबसे व्यापक जनसंख्या ओबीसी समुदाय की है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि यदि उसमें ओबीसी समुदाय की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो इस बिल के वास्तविक लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। महिलाओं को समुचित सम्मान देने के लिए संसदीय कार्यप्रणाली में अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के मध्य से ही चुनकर उनके लिए सांसदों, विधायकों को सदन में लाना होगा। सदन में हर वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व चुन कर लाना होगा तभी महिलाओं की मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक स्तर पर सुधार संभव हो पाएगा। दलित, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर आरक्षण दिए जाने की आवश्कता है इसे कहीं से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तभी इस महिला आरक्षण बिल की सार्थकता सिद्ध होगी जब समाज के हर जाति के साथ हर क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी इसमें सम्मिलित होगा। तभी उनके लिए संसद में नीति–निर्माण और कानून बनाने का कार्य पूर्ण हो पाएगा जिससे समाज की अर्द्ध जंसख्या समानता की अधिकारी हो पाएगी।

एक प्रश्न जो अभी भी अनुत्तरित है वह यह है कि यह विधेयक वास्तव में कितना प्रभावी होगा। यहां तक की पंचायती राज स्तर पर भी आरक्षण के कारण श्पति प्रधानः सरपंच पतिश या शाब्दिक रूप से श्सरपंच का पतिश की अनौपचारिक स्थिति बन गई है ,जो प्रमुख निर्णय लेता है और कई मामलों में वास्तविक मुखिया होता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर महिला आरक्षण विधेयक का भी लागू होने के पश्चात् यही हाल हो।

एक और चिंताजनक प्रवृत्ति वंशवादी प्रगति होगी जिसमें सांसदों, विधायकों, राजनीतिक परिवारों और नेताओं ने अपनी तथाकथित राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नियों, बेटियों या माताओं को सांसद विधायक के रूप में भेजा है और राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट दिया है। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए अन्यथा उन सामान्य महिलाओं के लिए कोई मत अर्थ नहीं रह पाएगा जो राजनीति में कैरियर बनाना चाहती है।

एक और प्रश्न जो सार्वजनिक विचार–विमर्श को प्रभावित कर रहा है वह यह है कि विधेयक को गोपनीयता में क्यों छुपाया गया? जब पहली बार पुरानी संसद का उपयोग भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया था, तो नए संविधान के प्रत्येक खंड के लिए व्यापक जनता

के भीतर व्यापक विवाद औरविचार–विमर्श हुआ था। इसलिए जब नया संसद भवन बनाया जा रहा था तो किसी को भी ऐसा ही होने की आशा थी। ठीक तभी उद्घाटन किया गया लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि विधेयक पूर्ण रूप से चुपचाप प्रस्तुत किया गया था और इसके चारां और गोपनीयता का पर्दा था।

जब इतने लंबे समय के पश्चात् भारत सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया है तो यह इस बात का विश्वास दिलाता है कि कानून अपने सार्थक रूप में सामने जरूर आएगा और मातृशक्ति को पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने एवं देश में अपने नेतृत्व शक्ति को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।

♦♦♦♦♦

3

# महिला आरक्षण से राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयासः शक्ति वन्दन अधिनियम’ के संदर्भ में

राखी

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व वर्तमान में लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप का एक अहम् पहलू है जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित किया जा रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शासकीय प्रकियाओं में इनकी भूमिका राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु अति आवश्यक है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता का स्वरूप मतदाता एवं प्रतिनिधि दोनों रूपों में सुनिश्चित करते हुए इनके समाहिकरण कि मांग कि जाती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रतिनिधि के रूप में इनकी उपस्थिति भारतीय संसद एवं विधानसभाओं में सुनिश्चित करना इनके राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार है।

राजनीति में स्वशासन एवं इसके क्रियान्वयन हेतु चुनावी प्रतिस्पर्धा मतदाताओं के हितों की अभिव्यक्ति तथा विकास हेतु मंच प्रदान करता है। चुनाव के माध्यम से विभिन्न दलों द्वारा उम्मीदवारों का नामांकन इस प्रक्रिया में अहम् बिंदु है। महिला उम्मीदवारों कि संख्या एवं इनकी जीत प्रतिशतता के मध्य विभेद लोकतंत्र में इनके समुचित प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला अहम् विषय है जिसे अनदेखा करके महिला विकास को नही समझा जा सकता है।

निम्न राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण

महिला अधिकारों कि मांग एवं नीति निर्माण में इनकी उपस्थिति इनके प्रति सकारात्मक प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण कदम है जिसे संविधान में लिंग आधारित समता को सुनिश्चित करते हुए इनके विकास को बढ़ावा जाता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप में अधिकार, सामर्थ्य या प्रदत्तता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सशक्तिकरण से अभिप्राय है व्यक्ति के पास निर्णय लेने और प्रभावित करने कि क्षमता का होना है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयास 1974 में प्रकाशित रिपोर्ट 'टुवड्र्स इक्वलिटी' द्वारा महिलाओं कि स्थिति को उजागर करते हुए किया गया। इस रिपोर्ट के तहत महिला सशक्तिकरण को इनकी स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक माना गया। राजनीतिक दलों द्वारा इस विषय में संज्ञान लेते हुए अपने घोषणा पत्र में भी महिलाओं को स्थान प्रदान किया जाने लगा।

इस संदर्भ में 1988 में भी राष्ट्रिय परिप्रेक्ष योजना में सिफारिश कि गई कि सरकार कि सभी कमटियों और आयोगों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाएं। इस आयोग ने आगे सिफारिश की कि पंचायत तथा जिला परिषदों और स्थानीय नगर पालिका निकायों में भी स्थान आरक्षित किये जाए। इसके साथ ही यह सिफारिश की गई कि लगभग 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए दलों के द्वारा आरक्षित किये जाए। अन्य विधेयक द्वारा 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसके अनुसार एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये। महिला आरक्षण के इन प्रावधानों का उद्देश्य सम्पूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना है जिसके आधार पर महिलाओं को सामूहिक स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के साथ ही साथ विधायिका में भी उन्हें लेकर आना है।

उच्च राजनीतिक संस्थाओं में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्ताव

स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण के पश्चात् इसको लोकसभा तथा विधानसभा स्तर पर भी लागू करने कि बात कि गई जिसका आरंभ 1996 में अटल बिहारी वाजपयी जी के शासन काल में हुआ लेकिन सरकार के पास बहुमत न होने के कारण यह बिल अनुमोदित नही किया जा सका। इसके पश्चात् 1998 से 2003 के मध्य में यह बिल 4 बार सरकार द्वारा पास करने के लिए रखा गया किंतु इसे स्वीकृति नही मिल सकी स 2009, 2010 में पुनः सरकार द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया किंतु सफलता हासिल नहीं हुई।

संविधान संशोधन अधिनियम 128 को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान मोदी जी कि सरकार ने पुनः इस विषय को उठाया है। 2023 में इस विधेयक को पुनः नई संसद की सर्वप्रथम बैठक में रखा गया। इस विधेयक के उद्देश्य को सुनिश्चित करते हुए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में महिला सशक्तिकरण को आधार बनाकर इस आरक्षण प्रस्ताव को लोकसभा में 19 सितम्बर 2023 को प्रस्तुत किया गया जिसे लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा सहमती के साथ पास कर दिया गया है।

इस अधिनियम में निम्न प्रावधान किये गये हैः

अनुच्छेद 334 ए को संविधान में जोड़ते हुए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है, जिसका क्रियान्वयन अगली जनगणना के बाद से किया जायेगा। इस अधिनियम के तहत पदों का आरक्षण 15 वर्ष के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में किया गया है।प्रत्येक परिसीमन के पश्चात् से क्रमावर्तन में इसको लागू किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक पद पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जा सके। वर्तमान कानून के अनुसार हालाँकि अगला परिसीमन 2026 कि जनगणना के पश्चात् ही कराया जायेगा जिसका अर्थ है इन प्रावधानों को कानून बनने के लिए 2027 तक इंतजार करना होगा।

अनुच्छेद 330 में संशोधन करते हुए 330 ए जोड़ा गया है जिससे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए इन आरक्षित पदों में से ही उनके अनुपात में पद आरक्षित किये जाएगें।

अनुच्छेद 332 ए प्रस्तावित करते हुए प्रत्येक राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से आबंटित पदों पर महिलाओं के लिए पद आरक्षण को अनिवार्य किया गया है।

अनुच्छेद 239 ए ए के तहत दिल्ली को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में राष्ट्रिय राजधानी के प्रशासनिक एवं विधायी शासन के कार्यान्वयन हेतु जो कुछ विशेष प्रावधान किये गये उसमे एक नई धारा जोड़ते हुए अनुच्छेद 239 ए ए (2) (बी) इस विधेयक में शामिल किया गया जिसके द्वारा अब संसद के द्वारा जो भी नये कानून बनाये जायेगे उन्हें राष्ट्रिय राजधानी में भी लागू किया जा सकेगा।

महिला आरक्षण के लाभ

यह कानून भविष्य में महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं में साझीदार बनाते हुए समावेशी लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देगा। महिला सहभागिता को बढ़ावा देते हुए निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं कि प्रतिशतता में वृद्धि होने से लैंगिक विभेद को शासन प्रक्रिया में न्यूनतम किया जा सकेगा तथा महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकेगा। इस विषय में कहते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस कानून के लागू होने के पश्चात् महिला प्रतिनिधित्व जो वर्तमान में 82 है बढ़कर 181 हो जायेगा।

अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि महिला नेता महिलाओं की चिंताओं से संबंधित सार्वजनिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। महिला विधायकों को बेहतर आर्थिक परिणामों और बुनियादी

ढांचे के विकास के साथ जोड़ा जा सकेगा स आरक्षित सीटें संभावित रूप से गंभीर आपराधिक मामलों वाले राजनेताओं की उपस्थिति को कम कर सकती हैं। वर्तमान लोकसभा में 159 सांसद हैं, जिन पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं । महिलाओं के मतदान नमूनों के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संरेखित करता है। चुनावों में महिलाओं का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक नेतृत्व से लाभ है कि यह निर्णय लेने में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है तथा पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और महिलाओं की भूमिकाओं की धारणाओं को चुनौती देता है।

आरक्षणः एक विवाद

हालाँकि विधेयक में केवल यह कहा गया है कि विधेयक के शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े तैयार किए जाने के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद यह प्रभावी होगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि चुनाव का कौन सा चक्र महिलाओं को उनका उचित हिस्सा देगा।

हालाँकि वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जिसे निचले और ऊपरी दोनों सदनों में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

महिलाएं जाति समूहों की तरह एक समरूप समुदाय नहीं हैं, जो जाति–आधारित आरक्षण के आधार पर इसकी तुलना अनुचित हैं। आलोचकों का तर्क है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना संविधान की समानता की गारंटी के विपरीत है, क्योंकि इसे योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा की कमी के रूप में माना जा सकता है। यह विधेयक ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण प्रदान नहीं करता है, जबकि ओबीसी महिलाओं की आबादी में ओबीसी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह विधेयक राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार नहीं करता है। महिला आरक्षण का कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिसमें देरी हो सकती है या राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकती है। ऐसी चिंताएं हैं कि महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि पंचायतों (स्थानीय सरकारों) में हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि महिलाओं के लिए सीटें

आरक्षित करना मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है, राजनीतिक दलों के भीतर महिला आरक्षण जैसे विकल्पों का सुझाव देता है।

निष्कर्ष

आईपीयू 2021 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महिला विधायी प्रतिनिधित्व में भारत 140 अन्य देशों से पीछे है स इस अधिनियम का उद्देश्य सरकार द्वारा देश में समाहित लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए महिला विकास को साथ लेकर चलना है जिससे कि लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत को अपनाते हुए लंबे समय से चल रहे विषय को क्रियान्वित किया गया है स हालाँकि इसे पूर्णतया लागु करने हेतु कुछ सुधार किये जाने अति आवश्यक है जो इस प्रकार हैः

चुनाव सुधारः अधिक महिलाओं को निर्वाचित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिमान्य मतदान जैसे चुनाव सुधारों को लागू करें।

जागरूकता और शिक्षा बढ़ाएंः जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करें।

लिंग–आधारित हिंसा के विरुद्ध कायवाही करनाः महिलाओं के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए नीतियों और कानूनी उपायों के साथ लिंग–आधारित हिंसा और उत्पीड़न को संबोधित करें।

अंतर–पार्टी लोकतंत्रः पार्टी के भीतर लोकतंत्र को संस्थागत बनाना भी इस प्रकार के स्महिकरण हेतु अति आवश्यक है।

संदर्भ सूचीः


- साधना आर्य, निवेदिता मेनन, लोकनीता जिनी नारीवादी राजनीति– संघर्ष एवं मुद्द, पृष्ठ 343–350
- Nari Shakti Vandan Adhiniyam: Here are the key points of the women's reservation bill (indiatimes-com.
- Nari Shakti Vandan Adhiniyam: 2023 (Women' Reservation Bill) & INSIGHTSIAS, insightsonindia-com
- Nari Shakti Vandan Adhiniyam: Here are the key points of the women's reservation bill (indiatimes-com)


♦♦♦♦♦

4

# नारी शक्ति वंदन अधिनियमः महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

ज्योति

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत जैसे संवैधानिक देश में, महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है, संविधान में महिलाओं को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किये गए है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं, किसी भी माध्यम से पुरुषों से कम है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग विशेष रूप से हमारे पुरुष–प्रधान समाज की कुरीतियों व विचारों के कारण किया जाता है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को सामान्य शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय करने की स्वंत्रता होना या उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि वें समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सके तथा अपने अधिकारों को समझते हुए अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक विकास कर सके।

महिला सशक्तिकरण को हम विभिन्न आयामों द्वारा समझ सकते है, यह एक बहुयामी प्रक्रिया जिसमें से एक है, महिलाओं का राजनितिक सशक्तिकरण। राजनितिक सक्तिकरण सामान्य अर्थ है कि समाज में देश की 50% जनसंख्यान को सामाजिक और आर्थिक विकास के मुख्य निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है, क्योंकि राजनीति प्रक्रियाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समाज में अभिव्यक्त करता है, जैसे चुनावों में भाग लेना। स्वंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में महिलाओं स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया, संविधान द्वारा बनाये गए कानूनों में भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न विशेषाधिकार और योजनाएं बनाये गए है, जैसे महिलाओं के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाएं, जिसमें से एक है 106जी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023, यह अधिनियम भारत में महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया, इस अधिनियम की आवश्यकता भारत की समकालीन परिस्थितियों की मांग है। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, राजनीतिक सशक्तिकरण (संसद में महिलाओं की भागीदारी का

प्रतिशत) के दृष्टिकोण से भारत 146 में से 48जी स्थान पर है, जिसका तात्पर्य है की भारत में केवल 14.4% महिलाएं भारत की संसद में उपिस्थित है। देश की 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केवल 14.4% महिला सांसद कर रही है जो अब तक का सबसे उच्चतम आकड़ा है

महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण की मांग स्वतंत्रता से पूर्व की है 1931 में पहली बार तीन महिलाओं की एक बेंच ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के लिए राजनितिक आरक्षण की निवेदन किया था। उसके पश्चात भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 में भी महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग की, यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण का विषय समय–समय पर सामने आता रहा और इस दिशा की ओर पहला मुख्य कदम 1992 का संवैधानिक संशोधन है। इस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित करन का प्रावधान किया गया। परन्तु यह अधिनियम वृहत स्तर पर महिलाओं को राजनीति में सुदृ ढ़ नहीं कर पाया, क्योंकि इसके प्रावधान मात्र निम्न स्तर के शासन तक ही लागू किये जा सकते थे, वृहत स्तर पर महिलाओं को राजनीति में सुदृढ़ करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मांग सबसे पहले 1996 में संसद में एक बिल के माध्यम से लाई गई।, 1998 से 2003 के समय NDA सरकार ने 4 बार संसद में इस अधिनियम को प्रस्तुत किया, 2009 मेa UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान इस बिल को फिर से संसद में लाया गया, परन्तु RJD, SP और JD(U) जैसी अन्य राजनितिक दलों ने इस बिल का विरोध किया। फरवरी 2010 में यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को पास किया जिसके पश्चात, मार्च 2010 में राज्यसभा से यह बिल पास हुआ, अधिक समय के अंतराल के पश्चात 2023 में लोकसभा से दो तिहाई बहुमत के साथ इस बिल को पास किया गया।

128जी सांवेधानिक संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)–

- इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों में से एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी है। यह सभी प्रावधान राज्यों के विधानसभा के लिए भी है, परन्तु यह आरक्षण राज्यसभा व राज्यों की विधानपरिषद के लिए नहीं है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सविधान में अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओ में कुछ परिवर्तन किये जाएंगे।

- यह अधिनियम भारतीय सरकार की जनगणना के पश्चात् 15 वर्ष के लिए लागू किया जायेगा व यह आरक्षण संसद के कानून द्वारा निर्धारित होगा।
- इस अधिनियम में आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई सीटे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित की गयी है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का क्रमवर्तन हर एक परिसिमन के पश्चात होगा, और यह परिसिमन संसद के कानून द्वारा निर्धारित होगा।
- यह अधिनियम भारत में महिलाओं के राजनितिक प्रतिनिधित्व को बढ़ायेगा, क्योंकि भारतीय समाज एक पुरुष–प्रधान समाज है। जहां महिलाओं की भूमिका को घर की सीमाओं तक ही रखा जाता है। तथा चुनाव मतदान जैसी प्रक्रियाओं में भी महिलाओं का निर्णय उनके घर के पुरषों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। महिलाओं को समाज में अग्रणी भूमिकाओं से वंचित रखा जाता है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार केवल 14.94% महिलाएं लोकसभा में व 14.05% महिलाएं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है। जो स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी बहुत कम है। 1952 महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 4.4% था जो आज बढ़कर मात्र 14.94% तक ही बढ़ पाया है। परन्तु, इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को समाज में अग्रणी भूमिका निभाने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे। जिससे महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता से समाज में सकरत्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जायेगा, क्योंकि अनुभाविक रूप से यह देखा गया है की महिलाओं के नेतृत्व द्वारा समाज में अधिक से अधिक महिलाओं से जुड़े विषयों पर अधिक कार्य किया जा सकता है तथा महिलाओं को विकास की धारा में जोड़कर कार्य किया जा सकता है।

मूलतः राजनीति में भ्रष्टाचार व अपराधिकरण को देखा गया है, समकालीन समय में भी लोकसभा के 159 MPs पर गंभीर अपराध जैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, हत्या व अन्य अपराधों के मामले दर्ज है, परन्तु महिलाओं की राजनीति में भूमिका बढ़ने से इन अपराधों को कम किया जा सकता है, जो वृहत स्तर पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही समाज मे पितृस्ततामक विचार को समाप्त करने की ओर भी यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि इस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव देश की निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। तथा देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भी पूर्ण भूमिका होगो।

अतः स्पष्ट रूप से यह अधिनियम महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी विचारों पर स्पष्ट एक कटाक्ष है। इसके साथ ही यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को ओर समावेशी बनाने में भी सहायता करेगा,

क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लोगों का 'पूर्ण प्रतिनिधित्व' और 'सामान भागीदारी' दोनों ही अहम बिंदु है। प्रत्येक देश की अर्द्ध जनसंख्या महिलाएं ही है और भारत जैसे व्यापक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहाँ महिलाओं का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व ही नहीं है। यह अत्यधिक शर्मनाक तथ्य है और यह अपूर्ण प्रतिनिधित्व किसी भी देश के 'लोकतांत्रिक हानि' व समाज में असमान शक्ति संबंधो को दर्शाता है। अतः नारी शक्ति वंदन अधिनियम समाज में एक सकारात्मक भेदभाव का भी प्रतिक बना है।

समकालीन समय में महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का सबसे अचूक उपाए है। उन्हें शक्ति प्रदान करना ओर वह शक्ति है निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सामान सहभागिता तथा राजनितिक आरक्षण। महिलाओं को निर्णय निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने का पहला मुख्य कदम है यह आरक्षण ना मात्र महिलाओं व राजनीति के मध्य खाई को कम करेगा अपितु यह महिला व पुरुषों के मध्य भी सामाजिक व आर्थिक असमानता को भी कम करेगा।

♦♦♦♦♦

5

# नारी शक्ति वंदन अधिनियमः राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में

प्राची

विद्यार्थी, मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

*यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।*

मनुस्मृति

नर व नारी एक गाड़ी के दो पहियों के समान है जिसमे संतुलन द्वारा ही समाज सुचारू रूप से चल सकता है व विकास कर सकता है। यदि गाड़ी का एक पहिया टूट जाए या कमजोर हो तो गाड़ी चल नही सकती ठीक इसी प्रकार समाज मे केवल नर या नारी नही अपितु दोनों की सहजीविता महत्वपूर्ण है। अतः हम कह सकते है कि समाज मे नारियों की गौण भूमिका नही अपितु मुख्य भूमिका है।

भारत एक समृद्ध प्राचीन संस्कृति व सभ्यता वाला देश है। जहां प्राचीनकाल से ही महिलाओं की पूजा विभिन्न रूपों मे की जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ भारतीय महिलाओं की गौरव गाथा से भरे हुए है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, दोनों के मध्य कार्य का ऐच्छिक विभाजन तथा महिलाओं को परिवार व समाज मे प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक इसी प्रकार नारियां राजनीति मे भी अछूती नहीं थी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी पदमावती आदि ।

किंतु समय के साथ–साथ महिलाओ की स्थिति मुख्य से गौण होती चली गई तथा विभिन्न कुरीतियां जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि होने लगी। पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं पर हावी हो गया। तथा समाज मे महिलाओं व पुरूषों के कार्य का विभाजन कर दिया जिसमे महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया गया व बाहर के सभी काम का उत्तरदायित्व पुरुषों को दे दिया। जिसके कारण महिलाएँ घर तक सिमटकर रह गई। अगर हम राजनीति की बात करे तो महिलाए, राजनीति में भी हाशिये पर चली गई। विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद विधासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिषा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई आदि ने महतवपूर्ण भूमिका निभाई।

वैश्विक स्तर पर हो रही चेतना व परिवर्तन का प्रभाव भारतीय पृष्ठभूमि पर भी हुआ। जिससे नारीवादी आंदोलनों की शुरूआत हुई तथा फिर से महिलाओं मे अपने अधिकारों के प्रति सजगता का भाव आया। जिससे महिलाओं द्वारा अपने राजनीतिक अधिकारों जैसे मतदान का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप मे खड़े होने का अधिकार, समान नागरिकता का अधिकार आदि की पुरजोर मांग की। परिणामस्वरूप 1893 मे इतिहास मे पहली बार न्यूजीलैंड मे मतदान का अधिकार दिया गया। जिससे अन्य देशों मे भी मांग मे लगातार वृद्धि हुई। अतः 1920 में अमेरिका व 1928 मे ब्रिटेन मे मिला। भारत मे स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महिलाओं को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के तहत मतदान का अधिकार दिया गया।

यह अधिकार भारत मे लगातार हो रही माँगो का ही परिणाम था। रोचक तथ्य तो यह है कि 1919 मे ही कुछ महिलाओं (शिक्षित, समृद्ध, कर का भुगतान) को सीमित मताधिकार दे दिया गया था।

भारतीय संविधान निर्मित करने वाली सभा में 15 महिलाएं सम्मिलित थी। जब उनसे महिलाओं के आरक्षण के विषय मे पूछा जाता है तो वे मना कर देती है और कहती है कि "हमें समाज मे आगें बढ़ने के लिए वैशाखी की आवश्यकता नहीं है। "परन्तु वास्तविकता में नारियों की राजनीति मे भूमिका बढ़ाने के लिए यह आवश्यक था।

भारतीय संविधान (देश का सर्वोच्च कानून) के अनुच्छेद 15ः भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अर्थात् राज्य धर्म जाति लिंग मूलवंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

15 (3) मे कहा गया है कि राज्य महिलओं व बालको के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16: राज्य द्वारा लोक नियोजन के विषय मे जाति धर्म लिंग मूलवश वंश जन्मस्थान व निवास स्थान के आधार पर कोई भेद नही किया जाएगा।

अनुछेद 326 मे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया है अर्थात् कोई भी देश का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है सभी को मतदान का अधिकार दिया गया है। किसी के साथ भेद नही किया जाएगा। व सभी के मत का एकसमान मूल्य रखा गया है।

एक देश, एक वोट, एक मूल्य

संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ विभिन्न वैधानिक प्रावधान भी किए गए है जिससे महिलाओ की समाज मे स्थिति मे सुधार हो रहा है जैसे शारदा एक्ट एवं उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि ।

श्रीमति सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गाँधी, राजकुमारी अमृतकोर, डॉक्टर सुशीला नय्यर, ममता बनर्जी आदि के रूप मे प्रगतिशील समाज के दर्शन होते हैं। परन्तु राजनीति मे महिलाओं की भागीदारी न्यून ही बनी रही है। इसलिए 73वाँ तथा 74वाँ संवैधानिक संशोधन किया गया जिससे महिलओं की स्थिति मे सुधार आए। यह भारतीय राजनीति मे मील का पत्थर सिद्ध हुआ इसके अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय शासन की इकाईयों मे एक तिहाई सीटों का आरक्षण दिया गया। जिसमे प्रमुख पद (जैसे मेयर) को भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया जिसस महिलाएँ भी शीर्ष पद पर पहुँच सके। जैसे हाल ही मे दिल्ली मेयर पद पर शैफाली ऑबरॉय आसिन हुई थी।

उपरोक्त लिखित संशोधनों से स्थानीय स्तरों पर तो महिलाओं की स्थिति मे सुधार हुआ, परन्तु केंद्रीय व राज्यीय स्तर पर महिला आरक्षण की भी माँग निरंतर जोर पकड़ती रही है। अंततः अत्यधिक प्रतीक्षा के पश्चात वर्तमान सरकार द्वारा 18 सितंबर को नई संसद मे 128 वा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। जिसका नाम था 'शक्ति वंदन अधिनियम'। इसे संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभ द्वारा सर्वसम्मिति से पास कर दिया है। इतिहास मे पहली बार इतने कम समय मे कोई विधेयक बिना किसी विरोध के पास हुआ। इसके माध्यम से संविधान में 106वां संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा मे महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटो का आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति व जनजातीय सीटों पर भी लागू होगा।

विधेयक में दिए गए प्रावधान 2021 की प्रस्तावित जनगणना के आंकडे प्रकाशित होने के बाद परिसीमन आयोग द्वारा सीटों के पुनः परिसीमन के पश्चात् हो लागू होंगे। तथा यह आरक्षण शुरूआत मे केवल 15 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम सें समाज व अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके कारण समाज मे लैंगिक समानता का भी विकास होगा। लैंगिकता समानता एक देश के लिए अत्यंत आवश्यक है जब तक समाज की अर्द्ध जंसख्या का योगदान नही होगा तब तक देश का विकास असंभव है। इससे विधायिका मे विचार विमर्श के मुद्दों के क्षेत्र मे विस्तार होगा व विषय

के भिन्न–भिन्न आयामो तक पहुँच स्थापित होगी। इसके कारण ऐसे विषय जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, परन्तु समाज उनसे अनभिज्ञ है तक भी पहुँच स्थापित होगी। इससे महिलाओं के समक्ष रोजगार व समाजसेवा के एक क्षेत्र का भी विकास होगा। वर्तमान में भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15ः से अधिक नहीं है, परन्तु इस ऐतिहासिक कदम से इसमें भी सुधार होगा। इसके कारण पितृसत्तात्मक समाज मे महिलाओं को स्व–निर्णय का अधिकार मिलेगा जिससे समाज में उनकी स्थिति बेहतर व मजबूत होगीं। इससे महिलाएं आने वाली पीढियों के लिए प्रेरणा के प्रतीक व स्त्रोत के रूप मे उदाहरण स्थापित कर सकती है।

आरक्षण के विधेयक को Post Dated Cheque कहा जा सकता है क्योंकि यह 2024 मे होने वाले केंद्रीय चुनाव मे लागू नही होगा। यह प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े प्रस्तावित होने के पश्चात् किए गए परिसीमन के पश्चात् ही लागू होगा। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कोई स्थान नही दिया गया है। इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष पुरुष राज होने की तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभवना है।

इस अधिनियम द्वारा समाज राजनीति व अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मे सुधार अवश्य आयेगा। यह नारी सशक्तीकरण की दिशा मे सर्वोत्तम प्रयास है। इससे महिलाओं के प्रति हिंसा व उत्पीड़न मे भी कमी आयेगी इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं मे शिक्षा व जागरूकता का प्रसार हो। उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए क्योंकि ‘अधिकारो के हनन के लिए अधिकारों का प्रयोग आवश्यक है, अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिकारो का ज्ञान आवश्यक है, अधिकारों के ज्ञान के लिए शिक्षा आवश्यक है’। इससे महिलाएँ भी स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। अंत मे देश का विकास समाज पर निर्भर है और समाज का विकास पुरुष व महिला की सहजीविता पर निर्भर है।

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

# सी जी एस

# वैश्विक अध्ययन केंद्र

## (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281